संख्या– 1664/उन्तीस(2)08–2(03पे0)/2005

प्रेषक,

एम0एच0खान
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 10 दिसम्बर, 2008

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिला योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट की शामा पेयजल योजना पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उप सचिव (नियोजन–1) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या 20/पी–1/प्र–स्वी0/1 दिनांक 07.08.1989 के अनुसार उ0प्र0 जल निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.02.1986 को सम्पन्न 77 वी बैठक में जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट की शामा पेयजल योजना अनु0 लागत रू0 121.816 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना की स्वीकृत लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि व्यय की जा चुकी है। इस योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन विषयक आपके पत्र संख्या 1452/अप्रैजल–बागेश्वर/दिनांक 12.05.08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला योजना की सामान्य श्रेणी की जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वि0ख0 कपकोट की शामा पेयजल योजना के पुनरीक्षित आगणन रू0 258.65 लाख के टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 255.20 लाख (रू0 दो करोड पचपन लाख बीस हजार मात्र) के प्राक्कलन पर चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखकर सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

कृपया 2

7— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियो के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात आवश्कतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है। उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9— निर्माण कार्य को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा। उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

10— जी0पी0डब्लू फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/एफ्ट–219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव

संख्या– 1664/उन्तीस(2)/08–2 (03पे0)/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त कुमायूँ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी बागेश्वर
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6– अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, संबंधित जनपद।
8– वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन।
9– संयुक्त विकास आयुक्त कुमायूँ मण्डल।
10–आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
11–स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12–संबंधित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, संबंधित जनपद।
13–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
14–निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी,
15–निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
16–मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय
17–गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव